(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1496–तीन/2006 –विरूद्व आदेश दिनांक 25–7–06 –पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 556/05–06 निगरानी

1– कमलनाथ सिंह पुत्र धनबंत सिंह

2– दलवीर सिंह पुत्र धनबंत सिंह

ग्राम पेपखरा तहसील सिरमौर जिला रीवा । ——आवेदकगण

विरूद्व

1– पंचराज सिंह पुत्र श्याम सिंह वघेल

ग्राम पेपखरा तहसील सिरमौर जिला रीवा ।

2– श्रीमती द्रोपदी सिंह पुत्री धनेश सिंह

पत्नि कृष्णपाल सिंह ग्राम मलेहटा

तहसील राठ जिला हमीरपुर उ0प्र0 — अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 556/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील

सिरमौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पेपखरा की भूमि सर्वे कमांक 187/2 रकबा 1.98 एकड़ के जुज रकबा 1–32 एकड़ पर विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर ने प्रकरण कमांक 3 अ–6/2005–06 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई प्रारंभ की, जिस पर अनावेदक क–1 ने आपत्ति प्रस्तुत की कि विकय पत्र चोरी–चोरी कराया गया है इसलिये नामान्तरण आवेदन निरस्त किया जाय। तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 19–10–05 पारित किया तथा आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 132/अ–6/05–06 में पारित आदेश दिनांक 27–6–2006 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 556/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा निर्णीत किया कि जब तक प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में मान0 उच्च न्यायालय से अग्रिम आदेश पारित नहीं होता है तब तक नामान्तरण कार्यवाही रोकी जावे। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 19–10–05 , अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 27–6–2006 तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2006 मे की तथ्यात्मक विवेचना एंव निकाले गये निष्कर्षो पर विचार करने से परिलक्षित है कि वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में मान. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा व्दारा सिविल सूट कमांक 15 ए/2003 में पारित आदेश दिनांक 30–11–2004 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रथम अपील कमांक 255/2005 विचाराधीन है एंव वाद विचारित भूमि के स्वामित्व का निर्णय होना शेष है , जिसके कारण शासकीय अभिलेख में काट–छॉट करने अथवा किसी व्यक्ति विशेष का नाम दर्ज करने का औचित्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च

न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी होने से पालन में तद्नुसार कार्यवाही की जाना है, जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 556/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2006 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 556/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर